बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 275605 पटना, दिनांक 17/06/2016

ग्रा0वि0-7(नि0)2/2015

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,

सभी उपविकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार ।

विषय :- मनरेगा अंतर्गत परिसम्पत्ति रजिस्टर को ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने एंव संधारित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नये स्थायी परिसम्पत्ति रजिस्टर का प्रपत्र इस निदेश के साथ उपलब्ध कराया गया है कि 1 अप्रैल 2016 से सृजित होने वाले सभी परिसम्पत्तियों को स्थायी परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जाय। परिसम्पत्तियों को दर्ज किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निदेश दिया गया है जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया पंचायतों की संख्या के अनुसार 300 पृष्टों वाले स्थायी परिसम्पत्ति रजिस्टर का मुद्रण कराया जाय। परिसम्पत्ति रजिस्टर के संधारण से संबंधित मार्गदर्शिका इस पत्र के साथ संलग्न है। कृपया इस रजिस्टर का संधारण मार्गदर्शिका में दिये गये निदेश के आलोक में किया जाय। परिसम्पत्ति रजिस्टर के संधारण से संबंधित प्रतिवेदन की विवरणी NREGA Soft पर भी अपलोड किया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

17/6/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सचिव